भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3128
04 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

अमृत योजना

3128. श्री दिलीप घोष:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र और राज्यों के बीच निधि की भागीदारी सहित कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल के उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां अमृत योजना चल रही है;

(ग) योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में निधि के आवंटन और तत्संबंधी उपयोग का परियोजना और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या जिला और राज्य स्तर पर गठित योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश है और यदि हां, तो गठित निगरानी समितियों का ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित की गई ऐसी समिति की बैठकों की संख्या कितनी है ?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क): देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 500 चयनित शहरों में 50,000 करोड़ रु. के कुल केंद्रीय परिव्यय सहित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को 25 जून 2015 को 05 वर्षों की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए शुरू किया गया था। मिशन जल आपूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकासी; गैर-मोटरीकृत शहरी परिवहन और हरित स्थानों और पार्कों का विकास के क्षेत्रों में शहरी अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मिशन ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के शासन में सुधार और यूएलबी के लिए क्षमता निर्माण कार्यकलापों के लिए 11 सुधारों का एक सेट भी क्रियान्वित किया।

अमृत के तहत, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल स्वीकृत योजना आकार 77,640 करोड़ रु. है, जिसमें 35,990 करोड़ की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। इसके माध्यम से, मिशन में अमृत शहरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए 139 लाख नल कनेक्शन प्रदान करने और पर्याप्त सीवरेज नेटवर्क कवरेज बढ़ाने के लिए 145 लाख सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई। अमृत को अब 01 अक्टूबर 2021 को शुरू अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के तहत सम्मिलित कर दिया गया है। तदनुसार, अमृत की सभी चल रही और पात्र परियोजनाओं को 31 मार्च 2023 तक केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त होगा।

अमृत परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण हिस्सेदारी पद्धति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी	क्षेत्र	जनसंख्या की दृष्टि से अमृत शहर की श्रेणी (2011 की जनगणना के अनुसार)	परियोजना लागत के लिए अधिकतम केंद्रीय हिस्सा*	परियोजना लागत के लिए राज्य/यूएलबी/अन्य का हिस्सा
i	सभी संघ राज्य क्षेत्र के लिए	सभी क्षेत्र	जनसंख्या को ध्यान में रखे बिना अमृत शहरों के लिए	100%	-
ii.	08 पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए	सभी क्षेत्र	जनसंख्या को ध्यान में रखे बिना अमृत शहरों के लिए	90%	10%
iii.	शेष सभी राज्य	जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी और शहरी परिवहन (गैर मोटरीकृत)	10 लाख तक की आबादी वाले शहर	50%	50%
iv.			10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर	33.33%	66.67%
v.		पार्क/हरित स्थान	जनसंख्या को ध्यान में रखे बिना अमृत शहरों के लिए	50%	50%

* अधिकतम प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता तक सीमित।

(ख): पश्चिम बंगाल राज्य में अमृत के तहत चुने गए 60 शहरों की सूची अनुलग्नक-I के रूप में दी गई है।

(ग): अमृत के तहत, केंद्रीय निधियों को परियोजना या जिलेवार आवंटित नहीं किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए, पूरे मिशन अवधि के लिए 1,929.32 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित 4,035 करोड़ रु. की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को स्वीकृति दी गई है। अब तक, मिशन के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य को केंद्रीय निधि के रूप में 1,905.39 करोड़ रु. जारी किए गए हैं, जिनमें से राज्य सरकार ने 1,334.49 करोड़ रु. के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में अमृत के तहत शुरू की गई परियोजनाओं और अब तक सूचित व्यय का जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ): अमृत के तहत, राज्यों को अमृत मिशन के व्यापक कार्य ढांचे के भीतर परियोजनाओं का चयन करने, अवगत कराने, अनुमोदन करने और कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, अमृत दिशा-निर्देशों में राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एसएचपीएससी) के गठन के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। इसके अलावा, प्रधान सचिव, शहरी विकास और नगर प्रशासन विभाग की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) और निदेशक, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता वाली तकनीकी उप-समिति एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है, ताकि राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा सके। जिला स्तर पर अमृत परियोजनाओं की निगरानी के लिए, अमृत दिशा-निर्देशों में एक जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति (डीएलआरएमसी) के गठन का प्रावधान है, जिसकी सह अध्यक्षता जिला कलेक्टर के साथ संसद सदस्य (सदस्यों) द्वारा की जाएगी।

अमृत के तहत, पिछले पांच वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एसएचपीएससी की 04 बैठकें, एसएलटीसी की 16 बैठकें और तकनीकी उप-समिति की 32 बैठकें आयोजित की गई हैं।

"अमृत योजना" के संबंध में, दिनांक 04 अगस्त, 2022 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3128 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

अमृत के अंतर्गत शामिल पश्चिम बंगाल के शहरों की सूची

आसनसोल	बशीरहाट	हल्दिया	कृष्णनगर	राजारहाट गोपालपुर
अशोकनगर कल्याणगढ़	भद्रेश्वरी	हलिसाहार	कुल्टी	राजपुर सोनारपुर
बैहरामपुर	भतपारा	होरा	मध्यमग्राम	रानीगंज
बैद्याबती	बिधान नगर	हुगली-चिनसुराह	महेशताला	रिशरा
बल्ली	बनगांव	जलपाईगुड़ी	मेदिनीपुर	शांतिपुर
बेलूरघाट	चंपदानी	जमुरिया	नवद्वीप	श्रीरामपुर
बांकुड़ा	चन्दन नगर	कल्याणी	नैहाटी	सिलीगुड़ी
बंसबेरिया	दार्जिलिंग	कामरहटी	उत्तर बैरकपुर	साउथ डम डम
बारानगर	डम डम	कंचरपाड़ा	उत्तर डम डम	टीटागढ़
बारासत	दुर्गापुर	खड़गपुर	पानिहती	उलुबेरिया
बर्द्धमान	इंगलिश बाजार	खरदाह	पुरुलिया	उत्तरपारा कोटरुंग
बैरकपुर	हाबड़ा	कोलकाता	रायगंज	जंगीपुर

टिप्पणी: इन 60 शहरों में से बल्ली का हावड़ा में विलय कर दिया गया है; जमुरिया, कुल्टी और रानीगंज को आसनसोल में मिला दिया गया है और राजारहाट गोपालपुर को बिधान नगर में मिला दिया गया है।

"अमृत योजना" के संबंध में, दिनांक 04 अगस्त, 2022 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3128 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II

<u>पश्चिम बंगाल राज्य में अमृत के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा</u>

क्र. सं.	ज़िला	शहर	निर्माणाधीन परियोजनाएं		
			कुल संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)	संचयी कुल व्यय* (करोड़ रु. में)
1.	बांकुड़ा	बांकुड़ा	9	117.07	86.12
2.	दक्षिण दिनाजपुर	बेलूरघाट	5	1.01	0.96
3.	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग	4	205.78	122.40
4.		सिलीगुड़ी	14	1.02	0.79
5.	होरा	होरा	13	75.53	60.20
6.		उलुबेरिया	8	78.44	77.45
7.	हुगली	बैद्यबती	6	50.95	42.01
8.		बांसबेरिया	10	74.98	62.44
9.		भद्रेश्वर	7	25.98	20.44
10.		चंपदानी	4	0.97	0.69
11.		चन्दन नगर	9	21.80	17.80
12.		हुगली-चिनसुराह	5	75.90	75.16
13.		रिशरा	6	0.95	0.64
14.		श्रीरामपुर	6	70.90	65.26
15.		उत्तरपारा कोटरुंग	10	33.32	28.31
16.	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी	7	149.85	78.03
17.	कोलकाता	कोलकाता	21	128.70	92.62
18.	मालदा	इंगलिश बाजार	11	1.33	0.85
19.	मुर्शिदाबाद	बैहरामपुर	8	25.30	5.58
20.		जंगीपुर	4	82.27	50.04

क्र. सं.	ज़िला	शहर	निर्माणाधीन परियोजनाएं		
			कुल संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)	संचयी कुल व्यय* (करोड़ रु. में)
21.	नादिया	कल्याणी	8	0.94	0.52
22.		कृष्णनगर	6	71.35	63.37
23.		नवद्वीप	5	0.93	0.47
24.		शांतिपुर	7	25.70	10.31
25.	उत्तर 24 परगना	अशोकनगर कल्याणगढ़	7	103.00	48.21
26.		बारानगर	5	10.75	10.32
27.		बारासत	6	1.61	1.54
28.		बैरकपुर	7	1.03	0.81
29.		बशीरहाट	6	131.67	83.82
30.		भटपारा	7	104.04	90.73
31.		बिधान नगर	10	120.03	117.35
32.		बौगांव	6	100.73	70.87
33.		डम डम	5	32.98	32.94
34.		हाबड़ा	6	102.40	83.48
35.		हलिसाहारी	6	126.54	120.49
36.		कमरहटी	17	51.61	46.41
37.		कांचरापाड़ा	9	51.08	47.70
38.		खरदाह	6	75.95	48.99
39.		मध्यमग्राम	9	26.04	23.53
40.		नैहाटी	10	1.12	1.07
41.		उत्तर बैरकपुर	5	0.94	0.36
42.		उत्तर डम डम	13	99.42	86.05
43.		पनिहती	13	31.68	24.92
44.		साउथ डम डम	11	17.13	14.86
45.		टीटागढ़	4	0.80	0.60
46.	पश्चिम बर्धमान	आसनसोल	24	349.28	344.64
47.		दुर्गापुर	11	3.56	2.09
48.		बर्द्धमान	14	279.08	120.93
49.	पूर्ब मेदिनीपुर	हल्दिया	8	81.26	55.99
50.	पश्चिम मेदिनीपुर	खड़गपुर	10	1.16	0.63

क्र. सं.	ज़िला	शहर	निर्माणाधीन परियोजनाएं		
			कुल संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)	संचयी कुल व्यय* (करोड़ रु. में)
51.		मेदिनीपुर	10	182.46	71.30
52.	पुरुलिया	पुरुलिया	5	0.98	0.44
53.	दक्षिण 24 परगना	महेशताला	10	104.34	52.94
54.		राजपुर सोनारपुर	14	517.36	276.13
55.	उत्तर दिनाजपुर	रायगंज	3	0.70	0.37
	कुल योग		**470**	**4,031.70**	**2,842.97**

* यथा लागू केंद्रीय हिस्सा और राज्य/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/अन्य एजेंसियों के हिस्से, सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर अब तक किया गया कुल संचयी व्यय।

****